

स मा ह र ण ल य, कि श न गं ज

(जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

पत्रांक...../जि0आ0,दिनांक...../...../2012

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
किशनगंज।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
आपदा प्रबंधन विभाग,
बिहार पटना।

विषय :: अग्निकांड मद अन्तर्गत आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :: विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग,बिहार पटना के पत्रांक 1029 दिनांक 12.03.2013 महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र आलोक में कहना है कि वर्तमान समय में किशनगंज जिलान्तर्गत हो रहे अग्निकांड से प्रभावित परिवारों को आपदा प्रबंधन विभाग,बिहार पटना के द्वारा निर्धारित मांपदंड के अनुसार प्रभावित परिवारों को अग्निकांड साहाय्य अनुदान (यथा-नगद अनुदान, वस्त्रादि अनुदान एवं मकान मरम्मति अनुदान एवं खाद्यान्न) उपलब्ध कराया जाना है। विभागीय निदेश के क्रम में प्रभावित परिवारों के बीच अग्नि साहाय्य अनुदान विभागीय मानदर के अनुसार वितरण की जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए अग्निकांड के विभिन्न मदों के अन्तर्गत आवंटन उपलब्ध नहीं रहने के कारण अग्निकांड साहाय्य अनुदान अन्तर्गत वितरित की गई अनुदान की राशि का समायोजन किया जाना लंबित है।

अतः अनुरोध है कि निम्नांकित अधियाचना के अनुसार अग्निकांड मद अन्तर्गत आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि अग्निकांड से प्रभावित परिवारों के बीच वितरित की गई अनुदान की राशि का समायोजन किया जा सकें।

क्रमांक	मद का नाम	विपत्र कोड	राशि की आवश्यकता	खाद्यान्न	
				चावल (क्वींटल में)	गेहूँ (क्वींटल में)
1	2	3	4	5	6
01	अग्निकांड नगद अनुदान	N-2245021010005	1890000.00		
02	अग्निकांड वस्त्र अनुदान	N-2245021010006	1050000.00	700	700
03	अग्निकांड मकान मरम्मति	N-2245021010007	1750000.00		

विश्वासभाजन,

ह0/-

जिला पदाधिकारी,
किशनगंज।

ज्ञापाक...132...../जि.आ. दिनांक...06/04/.....2012

प्रतिलिपि :: आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल,पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: जिला प्रबंधक, (आई.टी. मैनेजर) किशनगंज को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
किशनगंज।